न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 42/2021

जगदीश प्रसाद पुत्र श्री गोरधन उम्र 70 वर्ष, जाति जाट, निवासी भूरासर का बास, तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट

बनाम

सरदार सिंह पुत्र श्री नौरंगराम, उम्र 80 वर्ष, जाति जाट, निवासी भूरासर का बास, तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अ.धा. 223 आर0टी0एक्ट 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.03.2021 बअदालत तहसीलदार झुंझुनूं उनवानी सरदार सिंह बनाम जगदीश प्रसाद आवेदन संख्या 05/2019 प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 आर0टी0एक्ट 1955

उपस्थित

1. श्री विनोद कुमार गिल एडवोकेट, अपीलांट की ओर से।
2. श्री कुलदीप सिंह बुगालिया एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 13.12.2021

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश दिनांक 30.03.2021 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र स्थगन के प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की ओर से प्रथम अपील निर्णय दिनांक 30.03.2021 से व्यथित होकर निम्न आधारों पर श्रीमान के समक्ष पेश है कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2021 बउनवानी सरदार सिंह बनाम जगदीश प्रसाद विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। रेस्पोडेन्ट के पिता स्वर्गीय नौरंगराम ने अपीलान्ट जगदीश प्रसाद के द्वारा रूघाराम से गत खसरा नम्बर 73 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 165 मे से भूमि कय की गई है। इस संबंध में रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी रजिस्ट्रीकृत विकय विलेख प्रस्तुत नही किया है और ना ही किसी दस्तावेज से यह प्रमाणित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट भूमि कय करने की दिनांक से ही भूमि खसरा नम्बर 164 से रास्ते से आवागमन कर रहा हो। इन सभी बातों की अनदेखी कर अदालत मातहत द्वारा निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 164 मे न ही तो रेवन्यू रिकार्ड में

रास्ता दर्ज है और न ही कभी रेस्पोडेन्ट की उक्त भूमि खसरा नम्बर 164 से आवागमन रहा है। रेस्पोडेन्ट अपने खेत खसरा नम्बर 165 मे जाने के लिए खसरा नम्बर 166 में से होकर पगडंडी से आता जाता रहा है। रेस्पोडेन्ट ने गलत रूप से अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 164 से जबरन रास्ता निकालने के लिए गलत रूप से अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 के तहत प्रस्तुत किया जिसका उसे कोई हक व अधिकार नही है। रेस्पोडेन्ट खेत खसरा नम्बर 166 की सीमा से होते हुए पगडंडी से आता जाता रहा है। वह कभी भी भूमि खसरा नम्बर 164 से धन पशु आदि लेकर गया है जब खेती का काम समाप्त हो जाता है तभी वह खेत खसरा नम्बर 166 से आता जाता रहा है। अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 164 से न ही तो रेस्पोडेन्ट की कभी आवागमन रहा है और ना ही कभी अपने धन पशु इत्यादि लेकर गया। इन सभी बातो की अनदेखी कर अदालत मातहत ने निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा करीब 20 वर्षो से अधिक समय से अपने खेत खसरा नम्बर 164 में की रक्षा के लिए तारबंदी कर रखी है जो लगातार चली आ रही है अब कोई नये सिरे से अपीलान्ट ने तारबन्दी भूमि खसरा नम्बर 164 में नही की है। रेस्पोडेन्ट ने अदालत मातहत में गलत रूप से जबरन रास्ता निकालने की गरज से गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका रेस्पोडेन्ट को कोई हक अधिकार नही है। इन सभी बातों की अनदेखी कर अदालत मातहत ने निर्णय पारित किया है। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 12.03.2021 को भू0अ0नि0 झुंझुनूं द्वारा रेस्पोडेन्ट से मिली भगत कर अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 164 मे से गलत रूप से रास्ता दिखाया गया है जबकि अपीलान्ट के खेत के चारो तरफ 20 वर्ष से अधिक पहले की तारबन्दी की गई है। इन सभी बातों की अनदेखी कर अदालत मातहत ने निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट खेत खसरा नम्बर 164 में गलत रास्ता दिखाया गया है जबकि खसरा नम्बर 166 की भूमि से आता जाता रहा है। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 12.03.2021 के बाबत अपीलान्ट ने दिनांक 24.03.2021 को अदालत मातहत में एक ऐतराज प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसको अदालत मातहत ने पत्रावली पर लेने के बावजूद रेस्पोडेन्ट व भू0अ0नि0 से कोई जबाब व बहस सुने वगैर उक्त ऐतराज प्रार्थना पत्र का कोई अलग से निर्णय पारित नही किया गया जिससे भी अदालत मातहत की मंशा व नियत साफ झलकती है। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त रास्ता अवरूद्ध बाबत ग्राम पंचायत नयासर को न ही तो कोई शिकायत प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा न ही ऐसी किसी शिकायत का प्रार्थना पत्र अदालत में पेश किया गया है तथा न ही उक्त शिकायत के संबंध में ग्राम पंचायत नयासर द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही की गई हो ऐसा कोई दस्तावेज रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत की पत्रावली पर पेश नही किया गया जिससे पूर्णतया स्पष्ट होता है कि इन सभी तथ्यो की अनदेखी कर अदालत मातहत द्वारा निर्णय पारित किया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय दिनांक 30.03.2021 तहसीलदार झुंझुनूं को अपास्त कर अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने की कृपा करे जिससे अपीलान्ट को न्याय मिल सके।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्ट के पिता स्वर्गीय नौरंगराम ने अपीलान्ट जगदीश प्रसाद के द्वारा रूघाराम से गत खसरा नम्बर 73 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 165 मे से भूमि क्रय की गई है। इस संबंध में रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी रजिट्रीकृत विक्रय विलेख प्रस्तुत नही किया है और ना ही किसी दस्तावेज से यह प्रमाणित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट भूमि क्रय करने की दिनांक से ही भूमि खसरा नम्बर 164 से रास्ते से आवागमन कर रहा हो। अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 164 मे न ही तो रेवन्यू रिकार्ड में रास्ता दर्ज है और न ही कभी रेस्पोडेन्ट की उक्त भूमि खसरा नम्बर 164 से आवागमन रहा है। रेस्पोडेन्ट अपने खेत खसरा नम्बर 165 मे जाने के लिए खसरा नम्बर 166 मे से होकर पगडंडी से आता जाता रहा है। रेस्पोडेन्ट ने गलत रूप से अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 164 से जबरन रास्ता निकालने के लिए गलत रूप से

अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 के तहत प्रस्तुत किया जिसको उसे कोई हक व अधिकार नही है। रेस्पोडेन्ट खेत खसरा नम्बर 166 की सीमा से होते हुए पगडंडी से आता जाता रहा है। वह तभी भूमि खसरा नम्बर 164 से धन पशु आदि लेकर गया है जब खेती का काम समाप्त हो जाता है तभी वह खेत खसरा नम्बर 166 से आता जाता रहा है। अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 164 से न ही तो रेस्पोडेन्ट की कभी आवागमन रहा है और ना ही कभी अपने धन पशु इत्यादि लेकर गया। अपीलान्ट द्वारा करीब 20 वर्षो से अधिक समय से अपने खेत खसरा नम्बर 164 में की रक्षा के लिए तारबंदी कर रखी है जो लगातार चली आ रही है अब कोई नये सिरे से अपीलान्ट ने तारबन्दी भूमि खसरा नम्बर 164 में नही की है। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 12.03.2021 को भू0अ0नि0 झुंझुनूं द्वारा रेस्पोडेन्ट से मिली भगत कर अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 164 मे से गलत रूप से रास्ता दिखाया गया है जबकि अपीलान्ट के खेत के चारो तरफ 20 वर्ष से अधिक पहले की तारबन्दी की गई है। अपीलान्ट खेत खसरा नम्बर 164 में गलत रास्ता दिखाया गया है जबकि खसरा नम्बर 166 की भूमि से आता जाता रहा है। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 12.03.2021 के बाबत अपीलान्ट ने दिनांक 24.03.2021 को अदालत मातहत में एक ऐतराज प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसको अदालत मातहत ने पत्रावली पर लेने के बावजूद रेस्पोडेन्ट व भू0अ0नि0 से कोई जबाब व बहस सुने वगैर उक्त ऐतराज प्रार्थना पत्र का कोई अलग से निर्णय पारित नही किया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त रास्ता अवरूद्ध बाबत ग्राम पंचायत नयासर को न ही तो कोई शिकायत प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा न ही ऐसी किसी शिकायत का प्रार्थना पत्र अदालत में पेश किया गया है तथा न ही उक्त शिकायत के संबंध में ग्राम पंचायत नयासर द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही की गई हो ऐसा कोई दस्तावेज रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत की पत्रावली पर पेश नही किया गया जिससे पूर्णतया स्पष्ट होता है कि इन सभी तथ्यो की अनदेखी कर अदालत मातहत द्वारा निर्णय पारित किया है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय दिनांक 30.03.2021 तहसीलदार झुंझुनूं को अपास्त कर अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने की कृपा करे जिससे अपीलान्ट को न्याय मिल सके।

वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध किया तथा कथन किया कि विवादित भूमि के मौके पर पहले से रास्ता कायम था। उक्त रास्ता चालू था जिसे अब अपीलान्ट ने बन्द कर दिया है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2021 विधि के अनुसार है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अहम तथ्य निम्नप्रकार है यथा :–

1. प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा ग्राम भूरासर स्थित भूमि खसरा नम्बर 165 में जाने हेतु भूमि खसरा नम्बर 164 के खातेदार द्वारा तारबन्दी कर बन्द किये गये डोटेड रास्ते को खोलने के आदेश पारित किये है। अपीलान्ट का तर्क यहां यह रहा है कि खसरा नम्बर 165 के खातेदार रेस्पोडेन्ट सरदार सिहं अपने खेत में खसरा नम्बर 166 में से पगडंडी से आता जाता है। अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 164 में रास्ता नहीं रहा है। मौका रिपोर्ट भू अभिलेख दिनांक 12.03.2021 तथा नक्शा सीट के अनुसार एक डोटेड रास्ता खसरा नम्बर 164 से लगता हुआ खसरा नम्बर 167 व 166 से गुजरता है। अपीलान्ट का यह तर्क की रेस्पोडेन्ट खसरा नम्बर 166 से आता जाता रहा है का कोई प्रमाण पत्रावली पर नहीं है और न ही ऐसा कोई प्रमाण है कि रेस्पोडेन्ट का अपनी खेत में जाने हेतु विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। भू अभिलेख की उक्त रिपोर्ट से साफ है कि रेस्पोडेन्ट का अपने खेत में आना जाना खेत खसरा नम्बर 164 से रहा है। ऐसें में हम अपीलान्ट के तर्को से सहमत नहीं है।

A4/4

2. अदालत मातहत द्वारा दोनों पक्षों सुनवाई तथा बाद जांच के विधिसम्मत् निर्णय पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलान्ट अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखने में विफल रहे है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। आदेश की प्रति मय रिकार्ड मातहत के प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 13.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं
13/12/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनू